



राजस्थान आवासन मण्डल

वाटिका आवासीय योजना, जयपुर में

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आयर्वग—अ के स्वतंत्र आवासों के पंजीकरण हेतु
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. ऑनलाईन आवेदन—पत्र उपलब्ध | : दिनांक से |
| 2. ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | : दिनांक तक |
| 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | |
| 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | |
| 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | |
| 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान | |

अंतिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.rhb.rajasthan.gov.in पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड—बारह, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 11, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन नं. 0141 — 2790270	उप आवासन आयुक्त, वृत—प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर—5, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर फोन : 0141 — 2791320	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 — 2741950
---	---	--

विशेष :-

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.rhb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रुपये 354/- पंजीकृत राशि में सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैंक के मध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग के मार्फत जमा करवाया जा सकता है।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः

यह सुनिश्चित कर लें कि :-

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न हैं :-

- i. आय संबंधी प्रमाण (ITR अथवा वेतन स्लिप अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)।
- ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
- iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
- iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्वहस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।
- v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।



राजस्थान आवासन मण्डल

वाटिका आवासीय योजना, जयपुर में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आयवर्ग—अ के स्वतंत्र आवासों के पंजीकरण हेतु

योजना की प्रस्तावना:-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम –4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में राजस्थान आवासन मण्डल की वाटिका आवासीय योजना, जयपुर में स्वतंत्र आवासीय योजना “स्व वित्त पोषित योजना” के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है। जिसमें मध्यम आय वर्ग—अ के 20 आवासों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता आवासन मण्डल की website - www.rhb.rajasthan.gov.in पर login कर आवेदन शुल्क राशि कुल रुपये 354/- (पंजीकरण राशि रुपये 300/- + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि) ऑनलाईन जमा करवा कर आवेदन कर सकता है। इस योजना में यथासम्भव सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सीवरेज, आवास हार्डस्टिंग, लैण्ड स्केपिंग इत्यादि प्रस्तावित हैं।

वाटिका योजना का कुल क्षेत्रफल 14.42 हैक्टेयर एवं प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल 87.00 वर्ग मीटर है जिसमें मध्यम आयवर्ग—अ के 20 आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका—1

आवास्स का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :—

क्र.सं.	आय वर्ग	योजना का नाम	अनुमानित संख्या	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल	भूखण्ड का क्षेत्रफल	अनुमानित लागत (रुपये लाख)
1.	मध्यम आय वर्ग—अ	SFS	20	86.811 व.मी. (935.00 व.फुट)	87.000 व.मी. (936.00 व.फुट)	18.10

नोट : (i) आवासों का अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
(ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। चूंकि मण्डल आवासों का आवंटन “बिना लाभ बिना हानि सिद्धांत” के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :—

यह वाटिका आवासीय योजना तहसील सांगानेर जयपुर में पूर्व में विकसित की गई योजना में रिहृत है। इस योजना की प्रमुख ख्यलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :—

1. रेलवे स्टेशन (सांगानेर)	22.00 कि.मी.
2. बस स्टैण्ड	1.00 कि.मी.
3. राजकीय चिकित्सालय	1.00 कि.मी.
4. हवाई अड्डा	20.00 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें :—

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के निम्नानुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है, तो भी वह इस योजना में आवास आवंटन का पात्र होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं अविवाहित वयस्क बच्चे पुत्र व पुत्री भी स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

4. आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर हैं तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :—

आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा :—

मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :—

तालिका—2

क्र.सं	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित	कुल योग
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग 5% निराश्रित एवं भूमिहीन (G-11) एकल महिला
1	जी—1	(i)	(अ) राज्य कर्मचारी/ बोर्ड/ निगम/ प्राइवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधिवाएं (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50 0.50 1.00 10.00
		(ii)	(अ) वर्तमान/ भूतपूर्व सैनिक/ सीमा सुरक्षाबल/ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल/ केन्द्रीय रिजवट पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधिवायें/ बीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50 0.50 1.00 10.00
2	जी—2	(i)	सामान्य श्रेणी	33.58 1.98 3.95 39.50
		(ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एवं प्राइवेट लॉक्टर)	4.25 0.25 0.50 5.00
3	जी—3		मण्डल कर्मचारी	0.85 0.05 0.10 1.00
4	जी—4		अनुसूचित जाति	13.60 0.80 1.60 16.00
5	जी—5		अनुसूचित जन जाति	10.20 0.60 1.20 12.00
6	जी—6		वर्तमान/ भूतपूर्व विधायक/ सासद	0.85 0.05 0.10 1.00

7	जी-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	जी-8	अधिस्थीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक / ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	जी-12	परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00

10. इस योजना में तालिका-1 में दर्शाए गए आवास हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है:-

तालिका-3

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (आवास की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत) (रुपये में)	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	मध्यम आय वर्ग—अ	600000.00 से 1200000.00	181000.00 + 5% GST =190050.00/-	Rs 300 + 18% GST = 354/-	Rs 1000+18% GST = 1180/-	191584/-

- नोट— (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
(ii) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिकों को निर्धारित पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।

11. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

- (ब) आवेदक की पत्नी / पति की आय उपरोक्तानुसार।
- (स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।
- (द) विभाग का वेतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।
12. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज़ / सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण / आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जायेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये $1000+18$ प्रतिशत जी.एस.टी.= रु० 1180/- राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जाएगा।
14. प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध आवासों की संख्या के बाबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जायेगी। वरीयता निर्धारण के पश्चात् असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
15. इस योजना के अन्तर्गत सभी आवासों का निर्माण “स्ववित्त पोषित योजना” के तहत किया जायेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों को मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर अनुमानित लागत अनुसार आरक्षण पत्र जारी करते हुए आरक्षण पत्र की निम्नानुसार राशि निर्धारित समयावधि में जमा करानी होगी।

तालिका-4

क्र.सं.	आवास का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र के अनुसार जमा कराने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	मध्यम आयवर्ग—अ (20 आवास)	प्रथम किश्त	1 माह	15 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	15 %
		तृतीय किश्त	7 माह	15 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	15 %
		पंचम किश्त	13 माह	10 %
		षष्ठम किश्त	16 माह	10 %
		सप्तम किश्त	19 माह	10 %

आरक्षण पत्र के अनुसार जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः आवासों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में आवासों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत आवास का निर्माण कार्य ‘डिपोजिट कार्य’ की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
18. आवेदकों को **तालिका-4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर अथवा मण्डल में प्रभावी दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।
19. **तालिका-4** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं करने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।
20. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 30 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

रिफण्ड

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। (मण्डल द्वारा जीएसटी की राशि रिफण्ड नहीं की जावेगी)
- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि

आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को समिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।

- (v) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही सीमित होगी।
- 22. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, पानी, बिजली, आवास हार्डिंग लैण्ड स्केपिंग इत्यादि प्रस्तावित हैं।
- 23. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात आवास का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
- 24. आवेदकों की वरीयता निर्धारण/आवास्स आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में समिलित किया जायेगा।
- 25. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवास के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवास पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवंटन पत्र के अनुसार आवास की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवास की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवास का आवंटन व पंजीकरण निरस्त कर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप आवेदक की जमा राशि में से कटौती करते हुये शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। यह पंजीकरण योजना रैरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डल की पंजीकरण योजनाओं में आवेदन करने वाले सफल आवेदकों द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत हो) मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार जब्त की जावेगी।
- 26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्च देय होंगे जिनका आवास के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:—
 - (क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
 - (ख) **अन्य खर्च :**
 - (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

- (ii) अन्य विविध खर्चे जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेंगे।
27. मंडल के आवास्स केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मण्डल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।
31. आवासन मण्डल अपनी योजना/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टर के स्थान पर अन्य सेक्टर में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मण्डल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

35. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता website - www.rhb.rajasthan.gov.inके माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 354/- (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 354/-) जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।
36. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhb.rajasthan.gov.inके द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
37. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
38. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से वांछित दस्तावेजों की एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
39. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
40. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

41. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चर्स्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- iii. लॉटरी से जो भी आवास आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमती से आवंटित आवास की अदला—बदली चाहते हैं तो उसकी सहमती दी जा सकेगी।
- iv. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- v. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख—रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- vi. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा में ही मान्य होंगे।
- vii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- viii. योजना में नियोजन अनुसार सुविधाओं हेतु भवन का निर्माण मण्डल द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये समस्त सामान की खरीद व उसके रख—रखाव एवं संचालन तथा आवासीय परिसर की सफाई, रख—रखाव एवं संधारण अन्य योजनाओं की भाँति रेजीडेन्ट वेलफेर सोसायटी द्वारा किया जावेगा।
- ix. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.rhb.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री आयु
जाति निवासी
(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 2022–2023 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी:-
 - अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से रुपये थी।।
 - ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये थी।।
 - स. कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 में मेरे परिवार की कुल आमदनी रुपये थी।।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति
..... निवासी सत्यनिष्ठा से
घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य हैं मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(उपरोक्त शपथ-पत्र 100/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
 पुत्र/पत्नी श्रीइस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था
 (विभाग/संस्था का नाम)में.....पद
 पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के
 उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रूपये
प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
 पुत्र/पत्नी श्रीनिवासी.....जिला
संभाग.....राज्यजातिके सदस्य हैं जो
 अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित
 जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती
 पुत्र/ पत्नी श्री..... निवासी ग्राम..... जिला

..... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/ पत्रिका (नाम)
 नियमित रूप से प्रकाशित होता/ होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/ सैन्य विधवा प्रमाण पत्र

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती पुत्र/ पत्नी स्व.
 श्री..... निवासी.....
 ... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/ युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/ युद्ध में हताहत हुए
 विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना
 अनिवार्य है।)

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी श्री निवासी जिला
 स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा
 ताम्र—पत्र/प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
 जिलाधीश/उप सचिव/
 सहायक सचिव
 (सामान्य प्रशासन विभाग)
 राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी श्री निवासी ने वर्ष
 में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
 राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

राजस्थान के विधायकों/ सांसदों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... क्षेत्र विधानसभा
 क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र
 के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर
 महासचिव/ सचिव
 लोकसभा/ राज्यसभा/ विधानसभा
 सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/ सांसदों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा
 क्षेत्र/राज्यसभा, जिला से सत्र में सदस्य रहे हैं एवं
 भूतपूर्व विधायक/ सांसद हैं।

हस्ताक्षर
 महासचिव/ सचिव
 लोकसभा/ राज्यसभा/ विधानसभा
 सचिवालय

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1. Sone Masonry in Foundation Plinth
2. Brick masonry in Super Structure
3. R.C.C. work in slab, plinth/lintel band.
4. Plaster in Cement sand mortar
5. Vitrified Tiles Flooring, Mat Finished in toilet floor, Ceramic Tiles in Toilet & Kitchen walls.
6. Sand Stone Door Frame
7. Flush door shutters with steel fittings.
8. Distempering in Interior paint and acrylic paint on Exterior walls.
9. POP on Internal Walls and white cement based putty on Exterior walls.
10. Steel Kitchen Sink.
11. Granite Kitchen table top.
12. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.
13. C.P. Brass fittings
14. Water supply pipe CPVC Pipe/Sanitary UPVC Type "B".
15. PVC Storage water tank

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक :

Bank : Indian Bank
IFSC Code : IDIB000J511
A/c No. : 7710625131

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बारह

विशिष्ट पंजीकरण योजना 2024

वाटिका आवासीय योजना तहसील सांगानेर जयपुर

1.	सेक्टर/कॉलोनी का नाम	: वाटिका आवासीय योजना तहसील सांगानेर जयपुर
2.	योजना का नाम	: विशिष्ट पंजीकरण योजना 2024
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:
4.	पत्र व्यवहार का पता	:
5.	बैंक अकाउन्ट नम्बर आई.एफ.एस.सी.कोड दिनांक	:
6.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दों में)	: रु0, रुपये

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान

आवेदक द्वारा भरा जावें



राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

विशिष्ट पंजीकरण योजना 2024
वाटिका आवासीय योजना तहसील सांगानेर जयपुर

क्र.सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1.	क्या आवेदक का नाम/ पिता का नाम अकित है?	हॉ/ नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान अपलोड कर दिया है?	हॉ/ नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड की गई है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/ नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण— स्वरूप दस्तावेज अपलोड है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/ नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति अपलोड की है?	हॉ/ नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/ नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र अपलोड किया है?	हॉ/ नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/ नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र अपलोड है?	हॉ/ नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/ नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/ नहीं
12.	क्या वालिंग राशि जमा है?	हॉ/ नहीं

कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य/अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी/ सम्पदा प्रबन्धक

चालान संख्या	चालान संख्या	चालान संख्या	चालान संख्या
 राजस्थान आवासन मण्डल पंजीकरण योजना वर्ष 2024 वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर खाता संख्या 7710625131 IFSC Code: IDIB000J511	 राजस्थान आवासन मण्डल पंजीकरण योजना वर्ष 2024 वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर खाता संख्या 7710625131 IFSC Code: IDIB000J511	 राजस्थान आवासन मण्डल पंजीकरण योजना वर्ष 2024 वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर खाता संख्या 7710625131 IFSC Code: IDIB000J511	 राजस्थान आवासन मण्डल पंजीकरण योजना वर्ष 2024 वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर खाता संख्या 7710625131 IFSC Code: IDIB000J511
<u>RERA REG. NO. RAJ/P/2020/1308 DT.</u> <u>07.08.2020</u>	<u>RERA REG. NO. RAJ/P/2020/1308 DT.</u> <u>07.08.2020</u>	<u>RERA REG. NO. RAJ/P/2020/1308 DT.</u> <u>07.08.2020</u>	<u>RERA REG. NO. RAJ/P/2020/1308 DT.</u> <u>07.08.2020</u>
प्रथम प्रति (आवेदक द्वारा भरा जावे)	द्वितीय प्रति (आवेदक द्वारा भरा जावे)	तृतीय प्रति (आवेदक द्वारा भरा जावे)	चतुर्थ प्रति (आवेदक द्वारा भरा जावे)
आवेदक /आवेदिका का नाम	आवेदक /आवेदिका का नाम	आवेदक /आवेदिका का नाम	आवेदक /आवेदिका का नाम
पत्र व्यवहार का पता	पत्र व्यवहार का पता	पत्र व्यवहार का पता	पत्र व्यवहार का पता
भुगतान पद्धति	भुगतान पद्धति	भुगतान पद्धति	भुगतान पद्धति
आय वर्ग	आय वर्ग	आय वर्ग	आय वर्ग
बैंक डी.डी.नं	बैंक डी.डी.नं	बैंक डी.डी.नं	बैंक डी.डी.नं
बैंक का नाम	बैंक का नाम	बैंक का नाम	बैंक का नाम
दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक
पंजीकरण राशि (अंको में) (शब्दों में)	पंजीकरण राशि (अंको में) (शब्दों में)	पंजीकरण राशि (अंको में) (शब्दों में)	पंजीकरण राशि (अंको में) (शब्दों में)

दिनांक—

दिनांक—

दिनांक—

दिनांक—

स्थान—

स्थान—

स्थान—

स्थान—


आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

MIG-A
(VATIKA RESIDENTIAL SCHEME)



GROUND FLOOR PLAN